[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना सं. 34/2024-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2024

सा. का. नि. .... (अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विस्तार तक, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचना का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

सारणी

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>अधिसूचना संख्या और तारीख</th><th>संशोधन</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>सा.का.नि. 161(अ), तारीख 28 फरवरी, 1999 द्वारा अधिसूचना सं. 25/1999-सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1999,</td><td>उक्त अधिसूचना में,
(i) आरम्भिक पैरा में, दूसरे परन्तुक में, “30 सितम्बर, 2024” अंक और शब्द के स्थान पर, “31 मार्च, 2029” अंक और शब्द रखे जाएंगे;
(ii) सारणी में, “सूची क” शीर्ष के अधीन, -
(क) क्रम संख्यांक 18 के सामने, स्तंभ (3) में “डिब्बाबंद तांबा अंतः संबद्ध; दृढ़ीकृत कांच जिसमें लौह अंतर्वस्तु कम हो और पारगारम्यांक न्यूनतम 90 प्रतिशत या अधिक हो;” शब्दों और अंकों का 30 सितम्बर, 2024 के पश्चात् लोप किया जाएगा;
(ख) क्रम संख्यांक 131 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-
<table><tr><td>“131क.</td><td>38</td><td>फाइन बैरिएर या मेट गोल्ड रेप्लेनिशेर्स</td><td>संबंधक</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>131ख</td><td>39</td><td>फोर्टान रेजिन (पौलीसल्फोंस)</td><td>संबंधक”;</td></tr>
</table>
(ग) क्रम संख्यांक 215 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-
<table>
<tr><td>“215क.</td><td>74</td><td>आक्सीजन फ्री कापर</td><td>प्रतिरोधक”;</td></tr>
</table>
(घ) क्रम संख्यांक 225क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-
<table>
<tr><td>“225ख.</td><td>28, 29, 38</td><td>(क) गोल्डन आई निकिल मेकअप सोल्युशन
(ख) गोल्डन आई निकिल संबंधक

(ग) प्लेटिंग के लिए निकिल एडिटिव सोल्युशन

(घ) प्लेटिंग बाथ के लिए सरक्लीन

(ड) प्लेटिंग के लिए एनएफ एसिड/एनएफ टिन</td><td>संबंधक”;</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>सा.का.नि. 122(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा अधिसूचना सं. 25/2002- सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002,</td>
<td>उक्त अधिसूचना के, आरम्भिक पैरा में, दूसरे परन्तुक में, “30 सितम्बर, 2024” अंक और शब्द के स्थान पर, “31 मार्च, 2029” अंक और शब्द रखे जाएंगे;</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>3.</td>
<td>सा.का.नि. 798(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा अधिसूचना सं. 57/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017,</td>
<td>उक्त अधिसूचना की, सारणी में,-
(i) क्रम संख्यांक 5ङ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-
<table>
<tr><td>“5च.</td><td>8517 79 10</td><td>सेलुलर मोबाइल फोन के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए)</td><td>15%</td><td>-”;</td></tr>
</table>
(ii) क्रम संख्यांक 6घ के सामने, स्तंभ (2) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, “39, 40, 70, 73, 76” प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

(iii) क्रम संख्यांक 6च के सामने, स्तंभ (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर, “39, 40” प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

(iv) क्रम संख्यांक 13ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-
<table>
<tr><td>“13ग.</td><td>8504 40</td><td>सेलुलर मोबाइल फोन का चार्जर या अडेप्टर</td><td>15%</td><td>-”;</td></tr>
</table>
(v) क्रम संख्यांक 22 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, “15%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(vi) क्रम संख्यांक 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-</td>
</tr>
</table>

		“23.	8517 13 00 या 8517 14 00	सेलुलर मोबाइल फोन	15%	-”।

2. अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह अधिसूचना 24 जुलाई, 2024 को प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 334/03/2024-टीआरयू]

(विक्रम विजय वानेरे)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण :

1. मूल अधिसूचना संख्यांक 25/1999-सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1999, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 161(अ) तारीख 28 फरवरी, 1999 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक 07/2024-सीमाशुल्क, तारीख 29 जनवरी, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सा.का.नि. 73(अ), तारीख 29 जनवरी, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
2. मूल अधिसूचना संख्यांक 25/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि.122(अ) तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक 07/2024-सीमाशुल्क, तारीख 29 जनवरी, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सा.का.नि. 73(अ), तारीख 29 जनवरी, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
3. मूल अधिसूचना संख्यांक 57/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 798(अ) तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक 17/2024-सीमाशुल्क, तारीख 14 मार्च, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सा.का.नि. 192(अ), तारीख 14 मार्च, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।